भारतीय संविधान की एकात्मक एवं संघात्मक विशेषताएं

- भारतीय संविधान का सबसे विवादास्पद लक्षण उसका संघात्मक स्वरूप है। ऐसा संविधान के प्रथम अनुच्छेद से ही विदित हो जाता है, जिसमें भारत को राज्यों का संघ (union of states) कहा गया है। कुछ न्यायविद् व राजनीति सिद्धान्तशास्त्री व टिप्पणीकार इसे संघात्मक (Federal) कुछ इसे एकात्मक (unitary) तथा कुछ विचारक मध्यमवर्ग का अनुसरण करते हुए अर्द्ध - संघात्मक (quasi-federal) कहते हैं।

संघवाद का अर्थ (Meaning of Federalism)

केंद्रीय व प्रान्तीय सरकारों के बीच शक्तियों के वितरण या उनके एकत्रण के सन्दर्भ में विश्व की राजनीतिक व्यवस्थाओं को मुख्यतः दो भागों में बाँटा जाता है। - एकात्मक और संघात्मक। एकात्मक व्यवस्था में एक प्रत्यक्ष सम्पूर्ण शक्ति के हाथों में राज्य की सत्ता केन्द्रीकृत होती है।

संघात्मक व्यवस्था में संविधान द्वारा स्थापित तथा नियन्त्रित विभिन्न इकाइयों के बीच शक्तियों का वितरण होता है।

कुछ महत्वपूर्ण वक्तव्य (Some important statements)

मैं नहीं जानता कि कनाडा के संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया।
भारत एक संघ है जिसकी इकाई उसे छोड़ नहीं सकती, संघ अनाशवान है।
डॉ० बी. आर. अम्बेडकर

संविधान के प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि एकात्मक हो आप केन्द्र व राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का कोई वर्गीकरण करें।